

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण का कार्यालय**आदेश**

दिल्ली, 4 अगस्त, 2009

सं. फा. 10 (748)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6459.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बुगेनविल्ला डिजाइन प्रा. लि., सी-18/8, एस.डी.ए. कम्प्युनिटी सेंटर, विपरीत-आईआईटी गेट के सामने, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY**ORDERS**

Delhi, the 4th August, 2009

No. F. 10(748)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6459.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bougainvillea Design Private Limited, C-18/8, S.D.A. Community Centre, Opp. IIT Gate, New Delhi-110 016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 01 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(749)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6460.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स प्रिमियम लेमिनेटर्स प्रा. लि., सीबी-ब्लाक, 24डी, डीडीए प्लेट, हरिनगर, घंटाघर, नई दिल्ली-110064, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 72,55,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 725500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,255 (रुपये सात हजार दो सौ पचपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(749)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6460.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Premium Laminators Private Limited, CB Block, 24D, DDA Flats, Hari Nagar, Clock Tower, New Delhi-110064 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,255 (Rs. Seven Thousand Two Hundred Fifty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 72,55,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 001 to 725500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(747)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6461.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आइडियल ब्रोडकास्टिंग इंडिया प्रा. लि., सी-9/9650, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,73,48,510 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 900001 से 2634851 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 17,349 (रुपये सतरह हजार तीन सौ उनचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(747)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6461.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ideal Broadcasting India Private Limited, C-9/9650, Vasant Kunj, New Delhi-110 070 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,349 (Rs. Seventeen Thousand Three Hundred Forty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,73,48,510 for equity share certificates with distinctive Nos. 900001 to 2634851 to be issued by the said company.

दिल्ली, 5 अगस्त, 2009

सं. फा. 10(698)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6463.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पी टी सी एनर्जी लि., दूसरी मंजिल, एन बी सी सी टावर, 15, भिकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 41,00,00,060 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 41000006 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,10,001 (रुपये चार लाख दस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 5th August, 2009

No. F. 10(698)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6463.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PTC Energy Limited, 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,10,001 (Rs. Four Lac Ten Thousand One) only on the aggregate value of shares of Rs. 41,00,00,060 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 4,10,00,006 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (761)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6466.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बीएस स्टुडियो एण्ड सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., 14 एलएससी, दूसरी मंजिल, पुष्प विहार, मदनगिर, नई दिल्ली-110 062 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 81,20,550 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,10,518 से 13,22,572 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8,121 (रुपये आठ हजार एक सौ इक्कीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(761)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6466.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. B S Studio and Services India Private Limited, 14, LSC, Second Floor, Pushp Vihar, Madangir, New Delhi-110 062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,121 (Rs. Eight Thousand One Hundred Twenty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 81,20,550 for equity share certificates with distinctive Nos. 5,10,518 to 13,22,572 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (769)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6465.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एमएमटीसी-पेम्प इंडिया प्रा. लि., 73, पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110 057, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये

25,18,650 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,67,88,136 से 4,70,40,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,519 (रुपये दो हजार पांच सौ उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(769)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6465.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. MMTC-Pamp India Private Limited, 73, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110 057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,519 (Rs. Two Thousand Five Hundred Nineteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,18,650 for equity share certificates with distinctive Nos. 4,67,88,136 to 4,70,40,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (742)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6464.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स फाकोर पावर लि., प्लॉट नं. 82, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110 020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 29,63,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 52501 से 2,96,82,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,96,300 (रुपये दो लाख छियानबे हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(742)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6464.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Facor Power Limited, Plot No. 82, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110 020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,96,300 (Rs. Two Lac Ninety Six Thousand Three Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 29,63,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 52501 to 2,96,82,500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (695)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6468.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स प्लानमैन कन्सल्टिंग (इंडिया) प्रा. लि., 48, कम्युनिटी

सेंटर, नारायणा विहार इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110028, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,80,00,000 मूल्य के बोनस इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 100001 से 4900000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 48,000 (रुपये अड़तालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(695)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6468.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pjanman Consulting (India) Private Limited, 48, Community Centre, Naraina Vihar Industrial Area, New Delhi-110028 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 48,000 (Rs. Forty Eight Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,80,00,000 for bonus equity share certificates with distinctive Nos. 100001 to 4900000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (765)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6467.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स राठी ग्राफिक टेक्नालोजीज लि., 24/1ए, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,04,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,32,56,001 से 1,39,39,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,490 (रुपये बीस हजार चार सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(765)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6467.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rathi Graphic Technologies Limited, 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,490 (Rs. Twenty Thousand Four Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,04,90,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,32,56,001 to 1,39,39,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 6 अगस्त, 2009

फा. सं. 10 (768)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6475.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स डीपीडी कोन्टिनेन्टल प्रा. लि., आरजेड 293, ए-ब्लॉक, लेन नं. 8, महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,35,93,110 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15,003 से 37,505 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,33,594 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार पांच सौ चौरानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 6th August, 2009

F. No. 10(768)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6475.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DPD Continental Private Limited, RZ 293, A-Block, Lane No. 8, Mahipalpur Extension, New Delhi-110 037 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,33,594 (Rs. One Lac Thirty Three Thousand Five Hundred Ninety Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,35,93,110 for equity share certificates with distinctive Nos. 15,003 to 37,505 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (766)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6481.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स नोरित्सू इंडिया प्रा. लि., 20ए, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(766)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6481.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Noritsu India Private Limited, 20A, Shivaji Marg, New Delhi-110015 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 1,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (760)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6480.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स रोकमेन ब्रेवरिज (टीएनके) लि., के-15, होजखास, नई
दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,05,96,200 मूल्य
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 168001 से 3227620 है, पर
लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,597 (रुपये तीस हजार पांच सौ
सत्तानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

No. F. 10(760)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6480.—In
exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-
section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899
(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the
24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue
Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rockman
Breweries (TNK) Limited, K-15, Hauz Khas, New
Delhi-110016 shall pay a consolidated Stamp Duty of
Rs. 30,597 (Rs. Thirty Thousand Five Hundred Ninety
Seven) only on the aggregate value of shares of
Rs. 3,05,96,200 for Equity Share certificates with distinctive
Nos. 168001 to 3227620 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (702)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6476.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स प्लानमैन टेक्नोलोजीज (इंडिया) प्रा. लि., डी-103, फेस-1,
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने
वाले रुपये 3,95,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 1710001 से 3290000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 39,500
(रुपये उनतालीस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व
नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(702)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6476.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of
sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899
(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the
24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue
Authority, Delhi hereby directs that M/s. Planman
Technologies (India) Private Limited, D-103, Phase-I, Okhla
Industrial Area, New Delhi-110020 shall pay a consolidated
Stamp Duty of Rs. 39,500 (Rs. Thirty Nine Thousand Five
Hundred) only on the aggregate value of shares of
Rs. 3,95,00,000 for equity share certificates with distinctive
Nos. 1710001 to 3290000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)